[2025] 4 एस.सी.आर. 1771: 2025 आईएनएससी 572

केंद्रीय जांच ब्यूरो

बनाम

सुरेंद्र पटवा एवं अन्य.

(आपराधिक अपील संख्या 2199/2025)

25 अप्रैल 2025

[एम.एम. सुंदरेश* और राजेश बिंदल, न्यायमूर्तिगण]

विचारार्थ मुद्दा

यह मुद्दा आरबीआई द्वारा कपट पर जारी मास्टर निर्देशों के अनुसरण में शुरू की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों की प्रकृति और विस्तार से संबंधित है, साथ ही प्रत्यर्थीगण के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही से भी संबंधित है।

हेडनोट्स

आपराधिक कार्यवाही के सन्दर्भ मे प्रशासनिक कार्रवाई - प्रकृति और विस्तार - आरबीआई ने कपट पर मास्टर निर्देश जारी किए जिसमें कपट का शीघ्र पता लगाने और उसकी सूचना देने और परिणामस्वरूप समय पर कार्रवाई करने के लिए ढांचा प्रदान किया गया - इसके मद्देनजर, अपीलकर्ता-बैंकों ने कंपनियों के बैंक खातों को कपटपूर्ण घोषित करके प्रत्यर्थीगण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की - प्रत्यर्थीगण के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की गई - प्रत्यर्थीगण ने मास्टर निर्देशों और उसके तहत की गई कार्रवाई को चुनौती दी - उच्च न्यायालयों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई को रद्द कर दिया और परिणामस्वरूप, प्रथम सुचना रिपोर्ट और आपराधिक कार्यवाही भी रद्द कर दी गईं - हस्तक्षेप:

* प्रणेता

अभिनिर्धारित: एक प्रशासनिक कार्रवाई और एक आपराधिक कार्यवाही अलग-अलग आधार पर होती हैं – एक प्रथम सुचना रिपोर्ट, किसी अपराध का संज्ञान लेकर, केवल कानून को लागू करती है जिसका प्रशासनिक पक्ष के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय से कोई लेना-देना नहीं होता – केवल इसलिए कि तथ्य समान या मिलते-जुलते हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि वैध प्रशासनिक कार्रवाई के अभाव में, कोई भी अपराध जो अन्यथा संज्ञेय है, दर्ज नहीं किया जा सकता – उस स्तर पर, केवल दर्ज प्रथम सुचना रिपोर्ट के आधार पर, एक संज्ञेय अपराध के अस्तित्व को देखा जाना चाहिए – इसलिए, यह मानते हुए भी कि प्रशासनिक पक्ष की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, एक प्रथम सुचना रिपोर्ट को मान्य माना जा सकता है – दोनों कार्रवाइयों का विस्तार और भूमिका पूरी तरह से अलग और विशिष्ट है, खासकर जब अलग-अलग वैधानिक/सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा की जाती है – यहाँ तक कि ऐसे मामले में भी जहाँ एक प्रथम सुचना रिपोर्ट प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर दर्ज की जाती है, तकनीकी या कानूनी आधार पर बाद वाली प्रथम सुचना रिपोर्ट को रद्द करने से पहली प्रथम सुचना रिपोर्ट स्वतः ही रद्द नहीं हो जाएगी – यह अंततः उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जाँच का विषय है – जब किसी प्रशासनिक आदेश को किसी कानूनी आवश्यकता या आदेश का पालन न करने के आधार पर रद्द कर दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत उल्लिखित तथ्य अभी भी प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने का आधार हो सकते हैं – उच्च न्यायालयों ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया प्रथम सुचना रिपोर्ट और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही चुनौती न दिए जाने के बावजूद रद्द किया – रद्द की गई प्रथम सुचना रिपोर्ट और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाहियों को निर्देशानुसार बहाल किया जाता है। [पैरा 6-8, 11, 13.1, 13.2]

प्रशासनिक कार्रवाइयाँ - आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसरण में शुरू की गई प्रशासनिक कार्रवाइयाँ केवल *ऑडी अल्टारेम पार्टम* के सिद्धांत का पालन न करने के आधार पर रद्द

कर दी गईं, गुण-दोष के आधार पर नहीं - प्रशासनिक प्राधिकारियों को, यदि नए सिरे से कार्यवाही करने से रोका गया हो:

अभिनिर्धारित: नहीं - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर किसी प्रशासनिक कार्रवाई को रद्द करने से प्रशासनिक प्राधिकारियों को नए सिरे से कार्यवाही करने से नहीं रोका जाता है - इस प्रकार, आरबीआई या शिकायतकर्ता-बैंकों पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए नए सिरे से कार्यवाही करने से कोई वर्जन नहीं है। [पैरा 12, 13]

आपराधिक विधि - आपराधिक अपराध की सुचना - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपयुक्तता - उच्च न्यायालयों ने राजेश अग्रवाल के मामले पर भरोसा करते हुए आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसरण में शुरू की गई प्रशासनिक कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया। परिणामस्वरूप, प्रथम सुचना रिपोर्ट और आपराधिक कार्यवाही भी रद्द कर दी गईं:

अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालयों ने राजेश अग्रवाल के मामले की गलत व्याख्या के आधार पर प्रथम सुचना रिपोर्ट और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया - इसमें यह माना गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत आपराधिक अपराध की सुचना के चरण में लागू नहीं होते हैं - यह भी स्पष्ट किया गया कि आपराधिक कार्रवाई (अर्थात प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करना) शुरू करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने से आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, जिसका उद्देश्य न्याय के उद्देश्यों को पूरा करना है - राजेश अग्रवाल के मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने या पंजीकृत करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर आवश्यक नहीं है। [पैरा 9]

उद्धृत प्रकरण

भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य **[2023] 7 एससीआर 476 : (2023) 6 एससीसी 1;** *स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम एस.के. शर्मा* **[1996] 3 एससीआर 972 : (1996) 3 एससीसी 364**; *केनरा बैंक बनाम देबाशीष दास* **[2003] 2 एससीआर 968 : (2003) 4 एससीसी 557 - संदर्भित।**

कुंजीशब्दो की सूची

आरबीआई के मास्टर निर्देश; कपट पर मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग दिनांक 01.07.2016; प्रशासनिक कार्रवाई; आपराधिक कार्यवाही; सुनवाई का अवसर न देना; *ऑडी अल्टरम पार्टेम*; प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत; संज्ञेय अपराध; कपटपूर्ण ; बैंक खाते कपटपूर्ण /कालीसूची में घोषित; वैधानिक/सार्वजनिक प्राधिकरण; कानूनी आवश्यकता या अधिदेश का पालन न करना; अपराध का संज्ञान।

मामला जहां से उत्पन्न हुआ

आपराधिक एवं सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2199/2025

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर द्वारा WP संख्या 23800/2021 में पारित दिनांक 25.07.2023 के निर्णय एवं आदेश से,

आपराधिक अपील संख्या 2200, 2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206- 2207, 2208, 2209-2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223-2224, 2225, 2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231, 2232, 2233, 2235, 2234, 2236, 2237 (2025) और सिविल अपील संख्या 5548-5549, 5550, 5551-5552, 5553, 5554, 5555, 5556 और 5557/2025

पक्षकारो के लिए उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता:

एस.वी. राजू, सूर्यप्रकाश वी. राजू, ए.एस.जी., संजय कपूर, सूर्या प्रकाश, अर्जुन भाटिया, सुश्री महिमा कपूर, मुकेश कुमार मारोरिया, सम्राट गोस्वामी, ज़ोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, कनु अग्रवाल, अमित शर्मा बी, बी.के. सतिजा,सौरभ पांडे, माधव सिंहल, मुकेश कुमार मारोरिया, राजेश कुमार गौतम, अनंत गौतम, दिनेश शर्मा, सुश्री लिकिवी जखालू, कुशाग्र नीलेश सहाय, मुकेश कुमार मरोरिया, गौरांग भूषण, अन्नम वेंकटेश, विवेक गुरनानी।

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता:

एस नागामुथु, सिद्धार्थ दवे, सिद्धार्थ अग्रवाल, आनंद छिब्बर, वी. गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अंकुर सहगल, रोहन तलवार, शाश्वत सिंह, सुश्री निधि श्री, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री। उदिता सिंह, करण नेहरा, अभय जोसन, हरविंदर सिंह, अमोल चित्रवंशी, कृष्ण कुमार, नितिन पाल, रोहित पांडे, चरितार्थ पल्ली, हिमांशु त्यागी, कृतार्थ पल्ली, ज़ोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, चन्द्र प्रकाश, अरविन्द कुमार शर्मा, सुश्री समृद्धि एस. जैन, अमरेंद्र कुमार मेहता, साहिल ए गर्ग नरवाना, रणपाल अवाना, डी एन ओझा, सुश्री नेहा नागपाल, मालक मनीष भट्ट, सुरजीत भादू, विश्वेन्द्र तोमर, अंकित भाटिया, कैलाश राम, सिद्धार्थ आर गुप्ता, मृगांक प्रभाकर, अमन अग्रवाल, शांतनु शर्मा, सुश्री साक्षी बंगा, सिद्धार्थ साहू, अभिनव मल्होत्रा, आयुष अग्रवाल, अनुज पी. अग्रवाल, सुश्री मल्लिका लूथरा, एम/एस. पीबीए लीगल, वैभव साहनी, कु. टीना गर्ग, एम.के. घोष, राजेश कुमार गौतम, अनंत गौतम, दिनेश शर्मा, सुश्री लिकिवी जखालू, कुशाग्र नीलेश सहाय, विजय अग्रवाल, नागेश बहल, विशाल गौरव, रिदम अग्रवाल, पंकुश गोयल, सोमेश चंद्र झा, शशांक डे, सौरभ नागर, कु. अलका चोजर, रमेश बाबू एम. आर., सुश्री जागृति भारती, सुश्री तान्या चौधरी, कौसर रज़ा फ़रीदी, सरफ़राज़ खान, मिर्ज़ा अमीर बेग, अब्दुल वाहिद, फैसल अहमद, सुश्री प्रवीणा गौतम, पवन शुक्ला, सुश्री टिस्सी एनी थॉमस, सुश्री आकांक्षा

त्यागी, अरुण अग्रवाल, सुश्री। अंशिका अग्रवाल, शिवम सैनी, प्रफुल्ल रावत, अनुपम किशोर सिन्हा, अविनाश के शर्मा, रिशेष सिकरवार, प्रदीप कुमार तिवारी, अपूर्व झा, साहित्य श्रीवास्तव, सुश्री अगम कौर, सुश्री अक्षता तेली, सुश्री कीर्तना नायर, कृष्ण देव जगरलामुडी, श्रेष्ठ मुखर्या, अर्पित कुमार मिश्रा, सुश्री जागृति पांडे, विष्णुकांत मूंदडा, संजय कपूर, सूर्य प्रकाश, अर्जुन भाटिया, सुश्री महिमा कपूर।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे **"आरबीआई"** कहा जाएगा) ने वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा कपट - वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर निर्देश दिनांक 01.07.2016 को जारी किए (जिन्हें आगे **"मास्टर निर्देश"** कहा जाएगा)। मास्टर निर्देश बैंकों के लिए एक ढाँचा प्रदान करने, कपट का शीघ्र पता लगाने और उसकी रिपोर्टिंग करने, और परिणामस्वरूप समय पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे। इसी के मद्देनजर, अपीलकर्ता बैंकों ने कंपनियों के बैंक अकाउंट्स को कपटपूर्ण घोषित करके प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की, जिससे प्रत्यर्थीगण प्रभावित हुए - एक ऐसी कार्रवाई जिसके महत्वपूर्ण नागरिक परिणाम मास्टर निर्देशों में वर्णित हैं। अपीलकर्ता बैंकों ने प्रत्यर्थीगण के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की, जो कपट की गतिविधि के संबंध में थी, जिसका पता चला था, क्योंकि मास्टर निर्देशों के अनुसार बैंकों को सामान्य नियम के अनुसार कुछ श्रेणियों के मामलों को राज्य पुलिस या केंद्रीय जाँच ब्यूरो (जिसे आगे "**सीबीआई**" कहा जाएगा) को भेजना आवश्यक है। इससे व्यथित होकर, प्रत्यर्थीगण ने विभिन्न क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों का दरवाजा

खटखटाया और मास्टर निर्देशों की वैधता और उसके परिणामस्वरूप की गई कार्रवाई को चुनौती दी।

3. उच्च न्यायालयों ने, आक्षेपित आदेशों के माध्यम से, न केवल मास्टर निर्देशों के अनुसरण में शुरू की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों को, बल्कि प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रथम सुचना रिपोर्ट) और उसके बाद शुरू की गई आपराधिक कार्यवाहियों को भी रद्द कर दिया है। **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य, (2023) 6 एससीसी 1** (जिसे आगे "**राजेश अग्रवाल का मामला**" कहा जाएगा) में इस न्यायालय के निर्णय के अनुपात पर भरोसा करते हुए, प्रशासनिक कार्रवाइयों को मुख्य रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, विशेष रूप से ***ऑडी अल्टरेम पार्टम*** के सिद्धांत का पालन न करने के आधार पर रद्द कर दिया गया था, क्योंकि संबंधित प्रत्यर्थीगण को कंपनियों के बैंक खातों को कपट /काली सूची में डालने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये कार्यवाही उपरोक्त बैंक खातों को कपटपूर्ण घोषित करने की प्रशासनिक कार्रवाई का स्वाभाविक परिणाम हैं।

<u>निवेदन</u>

4. अपीलकर्ता-सीबीआई के विद्वान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालयों को मुख्य निर्देशों के अनुसरण में शुरू की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों को आपराधिक कार्यवाही के समान नहीं मानना चाहिए था। एक सिविल या प्रशासनिक कार्रवाई, आपराधिक कार्यवाही की तुलना में एक अलग स्तर पर होती है। कुछ मामलों में, उच्च न्यायालयों ने गलती से प्रथम सुचना रिपोर्ट और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जबकि इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। कुछ अन्य मामलों में, अपीलकर्ता-सीबीआई को, एक आवश्यक पक्षकार होने के

बावजूद, सुना नहीं गया है। कुछ अन्य मामलों में, अपीलकर्ता-सीबीआई को उच्च न्यायालयों के समक्ष प्रत्यर्थी के रूप में भी शामिल नहीं किया गया है। अंत में, यह निवेदन किया गया है कि उच्च न्यायालयों ने **राजेश अग्रवाल के मामले (उपर्युक्त)** में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की गलत व्याख्या की है। विद्वान एसजी और एएसजी ने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए **राजेश अग्रवाल के मामले (उपर्युक्त)** के पैरा 37 से 40 और 98 का हवाला दिया ।

5. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालयों ने **राजेश अग्रवाल मामले (उपर्युक्त)** में इस न्यायालय के निर्णय के अनुपात को सही ढंग से समझा है। आपराधिक कार्यवाही आरबीआई द्वारा जारी मास्टर निर्देशों के अनुसरण में शुरू की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों का परिणाम है। इसलिए, उच्च न्यायालयों ने प्रथम सुचना रिपोर्ट और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में सही निर्णय लिया। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मास्टर निर्देशों के अनुसरण में शुरू की गई प्रशासनिक कार्रवाइयां ***ऑडी अल्टरेम पार्टेम*** के सिद्धांत का पालन किए बिना की गईं। इसलिए, आक्षेपित निर्णयों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

<u>चर्चा</u>

6. पक्षों की संबंधित दलीलों को सुनने के बाद, हमारे सामने प्रश्न मास्टर निर्देशों के अनुसरण में शुरू की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों और प्रत्यर्थीगण के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही की प्रकृति और विस्तार से संबंधित है। हम स्पष्ट करते हैं कि दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। पहला आरबीआई और शिकायतकर्ता-बैंकों के अधिकार क्षेत्र में है, जबकि दूसरा अपीलकर्ता-सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में है। हम दोहराना चाहेंगे कि प्रशासनिक कार्रवाई और आपराधिक कार्यवाही अलग-अलग आधार पर होती हैं, जैसा कि **राजेश अग्रवाल मामले (उपर्युक्त)** के पैरा 39 में स्पष्ट किया गया है।

7. किसी अपराध का संज्ञान लेकर, एक प्रथम सुचना रिपोर्ट केवल कानून को क्रियान्वित करती है। इसका प्रशासनिक पक्ष द्वारा किसी भिन्न प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय से कोई लेना-देना नहीं है। केवल इसलिए कि तथ्य समान या मिलते-जुलते हैं, कोई यह नहीं कह सकता कि किसी वैध प्रशासनिक कार्रवाई के अभाव में, कोई भी अपराध जो अन्यथा संज्ञेय है, दर्ज नहीं किया जा सकता। उस स्तर पर, किसी को केवल दर्ज प्रथम सुचना रिपोर्ट के आधार पर एक संज्ञेय अपराध के अस्तित्व को देखना होता है। इसलिए, यह मानते हुए भी कि प्रशासनिक पक्ष की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, एक प्रथम सुचना रिपोर्ट को पोषणीय माना जा सकता है। दोनों कार्रवाइयों का विस्तार और भूमिका पूरी तरह से अलग और विशिष्ट हैं, खासकर जब विभिन्न वैधानिक/सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा की जाती हैं।

8. मूलभूत तथ्य समान हो सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसे मामले में भी जहाँ एक प्रथम सुचना रिपोर्ट किसी प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर दर्ज की जाती है, तकनीकी या कानूनी आधार पर बाद वाली को रद्द करने से पहली वाली स्वतः ही रद्द नहीं हो जाएगी। यह अंततः उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जाँच का विषय है। जब किसी प्रशासनिक आदेश को कानूनी आवश्यकता या आदेश का पालन न करने के आधार पर रद्द कर दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत उल्लिखित तथ्य अभी भी प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने का आधार हो सकते हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से इस पर ध्यान देने में विफल रहे हैं।

9. उच्च न्यायालयों ने **राजेश अग्रवाल के मामले (उपर्युक्त)** की गलत व्याख्या के कारण प्रथम सुचना रिपोर्ट और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर दिया है।

एसबीआई बनाम राजेश अग्रवाल, (2023) 6 एससीसी 1

> “37. जबकि उधारकर्ताओं का तर्क है कि बैंकों द्वारा उधारकर्ता खातों को कपटपूर्ण के रूप में वर्गीकृत करने की कार्रवाई कपट पर मास्टर निर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, आरबीआई और ऋणदाता

बैंकों का तर्क है कि इन सिद्धांतों को जांच एजेंसियों को आपराधिक अपराध की सूचना देने के चरण में लागू नहीं किया जा सकता है। **सबसे पहले, हम स्पष्ट करते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत आपराधिक अपराध की सूचना देने के चरण में लागू नहीं होते हैं, जो कि इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई कानून की एक सुसंगत स्थिति है।**

38. *भारत संघ बनाम डब्ल्यू.एन. चड्ढा* [1993 सप (4) एससीसी 260: 1993 एससीसी (क्रि) 1171] में, **इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने यह माना कि प्रत्येक आपराधिक मामले में अभियुक्तों को उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करना "कार्यवाही को विफल करेगा, कानून की मांग के अनुसार त्वरित कार्रवाई करने में बाधा उत्पन्न करेगा, न्याय के उद्देश्यों को विफल करेगा और जाँच से संबंधित कानून के प्रावधानों को बेजान, बेतुका, और आत्म-पराजित बना देगा"** [*Id*, एससीसी पृष्ठ 293, पैरा 98.]। पुनः, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने *अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* में [(2013) 6 एससीसी 384 : (2013) 4 एससीसी (क्रि) 503] ने **दोहराया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले सुनवाई का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है।**

39. कपट पर मास्टर निर्देशों का अध्याय VIII, उधारकर्ताओं के विरूद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए कोई राय बनाने से पहले बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रियाएँ प्रदान करता है। **उक्त अध्याय के अंतर्गत, ऋणदाता बैंकों को उधारकर्ता के खाते को कपटपूर्ण के रूप में वर्गीकृत करने के बाद, सीबीआई को उधारकर्ता की सूचना देनी होती है। हालाँकि, उधारकर्ता के खाते का वर्गीकरण केवल प्रवर्तन अधिकारियों के पास आपराधिक शिकायत दर्ज करने तक ही सीमित नहीं है;**

बल्कि यह उधारकर्ताओं के लिए दंडात्मक परिणाम भी लाता है, जैसा कि खंड 8.12 में निर्धारित है।

40. कपट पर मास्टर निर्देशों के अंतर्गत एक सूचित राय बनाने की प्रक्रिया प्रशासनिक प्रकृति की है। आरबीआई और ऋणदाता बैंकों ने भी अपने लिखित प्रस्तुतियों में इसे स्वीकार किया है। अब यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यों के अलावा, प्रशासनिक कार्यों पर भी *ऑडी अल्टरम पार्टम* का नियम लागू होता है। [*ए.के. क्राइपक बनाम भारत संघ,* (1969) 2 एससीसी 262*; सेंट एंथोनी कॉलेज बनाम रेवरेंड फादर पॉल पेट्टा,* 1988 सप्लीमेंट एससीसी 676: 1989 एससीसी (एल एंड एस) 44*; उमा नाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* (2009) 12 एससीसी 40: (2010) 1 एससीसी (आपराधिक) 501।] प्रशासनिक कानून में यह भी एक स्थापित स्थिति है कि जब किसी प्रशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या संस्था को व्यावहारिक परिणाम भुगतने पड़ते हैं, तो सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है।

xxx **xxx** **xxx**

98. निष्कर्ष नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

98.1. प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने और पंजीकृत करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर आवश्यक नहीं है।

98.2. किसी खाते को कपटपूर्ण के रूप में वर्गीकृत करने पर न केवल जांच एजेंसियों को अपराध की सूचना देनी पड़ती है, बल्कि उधारकर्ताओं के विरुद्ध अन्य दंडात्मक और व्यावहारिक परिणाम भी होते हैं।

98.3. कपट पर मास्टर निर्देशों के खंड 8.12.1 के तहत उधारकर्ताओं को संस्थागत वित्त तक पहुँच से वंचित करने से उधारकर्ता के लिए गंभीर व्यावहारिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

98.4. कपट पर मास्टर निर्देशों के खंड 8.12.1 के तहत ऐसा निषेध, बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को अविश्वसनीय और ऋण के अयोग्य होने के कारण काली सूची में डालने के समान है। इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि किसी व्यक्ति को काली सूची में डालने से पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

98.5. कपट पर मास्टर निर्देशों के तहत ऑडी अल्टरम पार्टम के आवेदन को निहित रूप से बाहर नहीं किया जा सकता है। कपट पर मास्टर निर्देशों के तहत परिकल्पित समय-सीमा और अपनाई गई प्रक्रिया की प्रकृति को देखते हुए, ऋणदाता बैंकों के लिए यह उचित रूप से व्यावहारिक है कि वे उधारकर्ताओं को उनके खाते को कपटपूर्ण के रूप में वर्गीकृत करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करें।

98.6. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि उधारकर्ताओं को एक नोटिस दिया जाना चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों को समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए, और बैंकों/जेएलएफ द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए इससे पहले कि उनके खाते को कपट पर मास्टर निर्देशों के तहत कपटपूर्ण के रूप में वर्गीकृत किया जाए। इसके अलावा, उधारकर्ता के खाते को कपटपूर्ण के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय एक तर्कसंगत आदेश द्वारा किया जाना चाहिए।

98.7. चूँकि कपट पर मास्टर निर्देश उधारकर्ताओं को उनके खाते को कपटपूर्ण के रूप में वर्गीकृत करने से पहले सुनवाई का स्पष्ट रूप से अवसर प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें मनमानी के दोष से बचाने के लिए निर्देशों के प्रावधानों को *ऑडिअल्टेराम पार्टेम* पढ़ा जाना चाहिए।

(*बल दिया गया*)

10. उपरोक्त अनुच्छेदों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत किसी आपराधिक अपराध की सुचना देने के चरण में लागू नहीं होते। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी आपराधिक कार्रवाई (अर्थात् प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने) की शुरुआत से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने से आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, जिसका उद्देश्य न्याय के उद्देश्यों को पूरा करना है। विशेष रूप से, **राजेश अग्रवाल मामले (उपर्युक्त)** के पैरा 98.1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज या पंजीकृत होने से पहले सुनवाई का कोई अवसर आवश्यक नहीं है।

11. हम अपीलकर्ता-सीबीआई की ओर से प्रस्तुत इस तर्क से पूरी तरह सहमत हैं कि उच्च न्यायालयों ने प्रथम सुचना रिपोर्ट और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, जबकि इसे कोई चुनौती नहीं दी गई थी। इसके अलावा, कुछ मामलों में इन्हें गलती से रद्द कर दिया गया है, या तो जहाँ अपीलकर्ता सीबीआई (उच्च न्यायालयों के समक्ष प्रत्यर्थी) को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, या जहाँ अपीलकर्ता सीबीआई को उच्च न्यायालयों के समक्ष पक्षकार-प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार भी नहीं बनाया गया था।

12. यह उल्लेख करना उचित है कि आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसरण में शुरू की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों को केवल ***ऑडी अल्टरेम पार्टम*** के सिद्धांत का पालन न करने के आधार पर रद्द किया गया था, न कि गुण-दोष के आधार पर। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर किसी प्रशासनिक कार्रवाई को रद्द करना प्रशासनिक अधिकारियों को नए सिरे से कार्यवाही करने से नहीं रोकता है।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम एस.के. शर्मा, (1996) 3 एससीसी 364

"**33**. हम उपरोक्त चर्चा से उभरने वाले सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। (ये किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं हैं और नियोक्ता द्वारा कर्मचारी पर लगाई गई अनुशासनात्मक जाँच और दंड के आदेशों के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए हैं):

xxx xxx xxx

(5) जहाँ जाँच किसी भी नियम/विनियम/वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित नहीं है और एकमात्र दायित्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है - या, जहाँ भी ऐसे सिद्धांत आदेश/कार्रवाई की प्रकृति और प्रभाव से निहित माने जाते हैं - न्यायालय या न्यायाधिकरण को प्राकृतिक न्याय के पूर्ण उल्लंघन (ऑडी अल्टरम पार्टम का नियम) और उक्त नियम के किसी पहलू के उल्लंघन के बीच अंतर करना चाहिए, जैसा कि निर्णय में स्पष्ट किया गया है। दूसरे शब्दों में, "कोई अवसर नहीं" और पर्याप्त अवसर नहीं, अर्थात "कोई नोटिस नहीं"/"कोई सुनवाई नहीं" और "कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं" के बीच अंतर किया जाना चाहिए। (क) पूर्व के मामले में, पारित आदेश निस्संदेह अमान्य होगा (यदि कोई चाहे तो इसे 'शून्य' या शून्य कह सकता है)। ऐसे मामलों में, सामान्यतः, प्राधिकरण के पास कानून के अनुसार, अर्थात् उक्त नियम (ऑडी अल्टरम पार्टम) के अनुसार, नए सिरे से कार्यवाही करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी।

(ख) लेकिन बाद के मामले में, उल्लंघन के प्रभाव (ऑडी अल्टरम पार्टम के नियम के एक पहलू के) की जाँच पूर्वाग्रह के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए; दूसरे शब्दों में, न्यायालय या न्यायाधिकरण को यह देखना होगा कि क्या समग्र परिस्थितियों में, दोषी अधिकारी/कर्मचारी की निष्पक्ष सुनवाई हुई या नहीं और दिए जाने वाले आदेश

उक्त प्रश्न के उत्तर पर निर्भर होंगे। [यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सिद्धांत (संख्या 5) पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम के मामले में लागू नहीं होता है, जिसके लिए परीक्षण अन्यत्र निर्धारित किए गए हैं।]"

(बल दिया गया)

केनरा बैंक बनाम देबाशीष दास, (2003) 4 एससीसी 557

"**21**. तो फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की व्याख्या न्यायालयों में कैसे की गई है और उन्हें किन सीमाओं के भीतर सीमित रखा जाना चाहिए? वर्षों से न्यायिक व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा दो नियम विकसित किए गए हैं जो न्यायिक प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया भी शामिल है। ये निष्पक्ष सुनवाई के मूल तत्व हैं, जिनकी जड़ें मनुष्य की सहज भावना में हैं, जो निष्पक्ष व्यवहार और न्याय के लिए है, जो किसी विशेष जाति या देश का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि सभी मनुष्यों द्वारा साझा किया जाता है। पहला नियम है "*नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ*" या "*नेमो डेबेट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉसा सुआ*" जैसा कि *अर्ल ऑफ डर्बी* के मामले है [(1605) 12 को रिपोर्ट 114: 77 ईआर 1390] में कहा गया अर्थात्, "कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होगा "। कोक ने "*अलिकिस नॉन डेबेट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉसा, क्विआ नॉन पोटेस्ट एसे जुडेक्स एट पार्स*" (को. लिट. 1418) रूप का प्रयोग किया, अर्थात्, "किसी भी व्यक्ति को अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह न्यायाधीश और एक ही समय में पक्षकार नहीं हो सकता"। *"नेमो पोटेस्ट एसे सिमुल एक्टर एट जुडेक्स"* रूप का भी कभी-कभी प्रयोग किया जाता है, अर्थात्, "*कोई भी एक साथ वादी और न्यायाधीश नहीं हो सकता*"। **दूसरा नियम है *"ऑडी अल्टरम पार्टम"*, यानी ""*दूसरे पक्ष की भी बात सुनें*""। कभी-कभी और ख़ास तौर पर महाद्वीपीय**

देशों में, "*ऑडिट्टुर एट अल्टेरा पार्स*" रूप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ लगभग एक ही होता है। उपरोक्त दो नियमों और विशेष रूप से ऑडी अल्टरम पार्टम नियम से एक उपपरिणाम निकाला गया है, जिसका नाम है "*क्वि एलिक्विड स्टैच्यूरिट, पार्टे इनऑडिटा अल्टेरा एक्वम लिसेट डिक्सेरिट, हाउड एक्वम फेसेरिट*" अर्थात, "वह व्यक्ति जो दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई भी निर्णय लेगा, हालाँकि उसने जो सही कहा होगा, वह वह नहीं होगा जो सही है" [बोसवेल का मामला देखें [(1605) 6 को रिपीट 48बी: 77 ईआर 326] (को रिपीट पृष्ठ 52-ए पर)] या दूसरे शब्दों में, जैसा कि अब व्यक्त किया गया है, "न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से किया हुआ दिखना भी चाहिए"। जब भी किसी आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण अमान्य घोषित किया जाता है, तो मामले का कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है और नई कार्यवाही खुली छोड़ दी जाती है। बस इतना ही किया गया है कि आदेश को उसके अंतर्निहित दोष के कारण निरस्त कर दिया गया है, लेकिन कार्यवाही समाप्त नहीं की गई है।"

(बल दिया गया)

अतः, हम स्पष्ट करते हैं कि आरबीआई या शिकायतकर्ता बैंकों पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए नए सिरे से आगे बढ़ने पर कोई रोक नहीं है।

13. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, हम आक्षेपित निर्णयों को रद्द करते हैं। हालाँकि, चूँकि हम कई अपीलों पर विचार कर रहे हैं, हम सुविधा के लिए और प्रत्येक अपील के परिणाम के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए, उन्हें 5 अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करके क्रमबद्ध तरीके से उनका निपटारा करना चाहेंगे। यह वर्गीकरण अपीलकर्ताओं द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों के अनुसार ही किया जा रहा है।

श्रेणियों का वर्गीकरण	मामले का विवरण	उप-श्रेणियों का वर्गीकरण	मामले का परिणाम/स्थिति
श्रेणी 1	प्रथम सुचना रिपोर्ट को चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया	लागू नहीं	याचिकाओं को उनके मूल स्वरूप में बहाल करें और उच्च न्यायालय को भेजें।
श्रेणी 1	प्रथम सुचना रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गई, लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया	लागू नहीं	इस निर्णय के पारित होने की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थीगण को कानून द्वारा ज्ञात तरीके से उपायों का सहारा लेने का अधिकार दिया गया है।
श्रेणी 3	अंतरिम आदेश	3A - पारित	उच्च न्यायालय को भेजी जा रही याचिका का निराकरण तक जारी
		3B - पारित नहीं	इस निर्णय के पारित होने की तिथि से 2 सप्ताह की अवधि तक संबंधित प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
श्रेणी 4	जांच की स्थिति	जारी है	जांच जारी रहेगी, लेकिन संबंधित प्रत्यर्थीगण/आरोपियों के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा।

		समाप्त	संबंधित प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और न ही कोई बलपूर्वक कदम उठाया जाएगा।
श्रेणी 5	उच्च न्यायालय के समक्ष सीबीआई को एक पक्ष/ प्रत्यर्थी के रूप में नहीं जोड़ा गया -	लागू नहीं	इस न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान आदेश के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

<u>13.1 श्रेणी 1: प्रथम सुचना रिपोर्ट को चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया</u>

क्रम सं.	**मामले का शीर्षक**
1	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7735/2024 - सीबीआई बनाम सुरेंद्र पटवा एवं अन्य
2	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7748/2024 - सीबीआई बनाम ई. सुधीर रेड्डी एवं अन्य
3	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 14011/2024 - सीबीआई बनाम मदनलाल गोयल एवं अन्य
4	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 13050 -13051/2024 - सीबीआई बनाम नरिंदर चुघ एवं अन्य
5	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 15574 - 15575/2024 - सीबीआई एवं अन्य बनाम मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड एवं अन्य

6	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 15572 - 15573/2024 - सीबीआई बनाम प्रणव गुप्ता और अन्य
7	एसएलपी डायरी संख्या 43552/2024 - सीबीआई बनाम सुयोग जैन एवं अन्य
8	एसएलपी डायरी संख्या 44000/2024 - सीबीआई बनाम अशोक कुमार मिगलानी एवं अन्य
9	एसएलपी डायरी संख्या 43977/2024 - सीबीआई बनाम भगवान दास गर्ग एवं अन्य
10	एसएलपी (आपराधिक) संख्या 18393/2024 - सीबीआई बनाम नवनीत गुप्ता एवं अन्य
11	एसएलपी डायरी संख्या 49283/2024 - सीबीआई बनाम राजा सिंह कपूर एवं अन्य
12	एसएलपी डायरी संख्या 49284/2024 - सीबीआई एवं अन्य बनाम अभिषेक सोइन एवं अन्य
13	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 881/2025 - सीबीआई बनाम रमन कुमार अग्रवाल एवं अन्य
14	एसएलपी डायरी संख्या 60578/2024 - सीबीआई बनाम नरेश मल्होत्रा एवं अन्य
15	एसएलपी डायरी संख्या 3564/2025 - सीबीआई बनाम विमल कुमार एवं अन्य
16	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 6371 - 6374/2024 - सीबीआई बनाम विजय सोनी एवं अन्य
17	एसएलपी (सी) संख्या 29120/2024 - भारतीय स्टेट बैंक बनाम एमएस भारत पेपर्स लिमिटेड एवं अन्य
18	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 630/2025 - पंजाब नेशनल बैंक बनाम शालू गुप्ता एवं अन्य

19	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 635/202-पंजाब नेशनल बैंक बनाम नरिंदर चुघ एवं अन्य
20	एसएलपी (सी) संख्या 28055-28056/2024 - भारतीय स्टेट बैंक बनाम ईश्वर चंद गोयल एवं अन्य
21	एसएलपी (सी) संख्या 28057-28058/2024 - भारतीय स्टेट बैंक बनाम अभिषेक सोइन एवं अन्य
22	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 16786/2024 - पंजाब नेशनल बैंक बनाम नरेश मल्होत्रा एवं अन्य
23	एसएलपी (सी) संख्या 29119/2024 - भारतीय स्टेट बैंक बनाम रमन कुमार अग्रवाल एवं अन्य
24	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18396/2024 - पंजाब नेशनल बैंक एवं एएनआर बनाम विमल कुमार एवं अन्य

हम विवादित निर्णयों को अपास्त करते हैं और इन मामलों को उनके मूल स्वरूप में उच्च न्यायालय को नए सिरे से विचार के लिए भेजते हैं सभी मुद्दों पर, सिवाय उस एक मुद्दे के जिस पर हमने इन अपीलों में निर्णय लिया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रद्द की गई प्रथम सुचना रिपोर्ट और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही भी अपने मूल स्वरूप में बहाल रहेंगी।

हम उच्च न्यायालयों से अनुरोध करते हैं कि वे सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, इस निर्णय के पारित होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर, भेजे जा रहे मामलों का निपटारा करने का प्रयास करें।

13.2 श्रेणी 2: प्रथम सुचना रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गई, लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया

क्रम सं.	**मामले का शीर्षक**
1	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9094/2024 - सीबीआई बनाम रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एवं अन्य
2	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 420/2025 - सीबीआई बनाम गौतम गुप्ता एवं अन्य 1786 [2025] 4 एस.सी.आर.
3	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 634/2025 - सीबीआई बनाम गौतम गुप्ता एवं अन्य
4	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18394/2024 - सीबीआई बनाम हाकम चंद जोसन और अन्य
5	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 631/2025 - सीबीआई बनाम कलारीथारा माइकल सेबेस्टाइन एवं अन्य
6	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18395/2024 - सीबीआई व अन्य बनाम सुखिंदर सिंह व अन्य
7	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18414/2024 - सीबीआई बनाम विजय कुमार व अन्य
8	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 945-946/2025 - सीबीआई बनाम रुचि ग्लोबल लिमिटेड व अन्य
9	एसएलपी (सी) संख्या 28059/2024 - भारतीय स्टेट बैंक बनाम हाकम चंद जोसन व अन्य
10	एसएलपी (सी) संख्या 28184/2023 - पंजाब नेशनल बैंक बनाम विजय सोनी व अन्य
11	एसएलपी (सी) संख्या 28231/2023 - पंजाब नेशनल बैंक बनाम राजीव सोनी एवं अन्य
12	एसएलपी (सी) संख्या 29121/2024 - भारतीय स्टेट बैंक बनाम गौतम गुप्ता एवं अन्य
13	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 632-633/2025 - सीबीआई बनाम करनाल कृषि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य
14	एसएलपी डायरी संख्या 968/2025 - पंजाब नेशनल बैंक बनाम मेसर्स करनाल कृषि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

हम आक्षेपित निर्णयों को रद्द करते हैं और संबंधित प्रत्यर्थीगण को इस निर्णय की तिथि से दो सप्ताह की अवधि प्रदान करते हैं ताकि वे कानून द्वारा ज्ञात उचित उपायों का सहारा ले सकें। इन अपीलों में हमारे द्वारा तय किए गए एक मुद्दे को छोड़कर, सभी मुद्दों को उठाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रथम सुचना रिपोर्ट और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही, जिन्हें बिना किसी प्रार्थना के रद्द कर दिया गया है, भी अपने मूल स्वरूप में बहाल रहेंगी। इसके अलावा, उपरोक्त मामलों में हमारे समक्ष प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे अनिवार्य रूप से अपीलकर्ता-सीबीआई को एक पक्ष-प्रत्यर्थी के रूप में शामिल करें और कानून द्वारा ज्ञात उपायों का सहारा लें।

13.3 श्रेणी 3A: अंतरिम आदेश पारित होने के बाद, उच्च न्यायालय को भेजी जा रही याचिका के निपटारे तक जारी

क्रम सं.	**मामले का शीर्षक**
1	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7748/2024 - सीबीआई बनाम ई. सुधीर रेड्डी एवं अन्य
2	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 15574 - 15575/2024 - सीबीआई एवं अन्य बनाम मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड एवं अन्य
3	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 15572 - 15573/2024 - सीबीआई बनाम प्रणव गुप्ता और अन्य
4	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 420/2025 - सीबीआई बनाम गौतम गुप्ता एवं अन्य

5	एसएलपी डायरी संख्या 43552/2024 - सीबीआई बनाम सुयोग जैन एवं अन्य
6	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 634/2025 - सीबीआई बनाम गौतम गुप्ता एवं अन्य
7	एसएलपी डायरी संख्या 44000/2024 - सीबीआई बनाम अशोक कुमार मिगलानी एवं अन्य
8	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18393/2024 - सीबीआई बनाम नवनीत गुप्ता एवं अन्य
9	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18394/2024 - सीबीआई बनाम हाकम चंद जोसन
10	एसएलपी (सी) संख्या 29120/2024 - भारतीय स्टेट बैंक बनाम एमएस भारत पेपर्स लिमिटेड एवं अन्य
11	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 630/2025 - पंजाब नेशनल बैंक बनाम शालू गुप्ता एवं अन्य
12	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 635/2025 - पंजाब नेशनल बैंक बनाम नरिंदर चुघ एवं अन्य
13	एसएलपी (सी) संख्या 28059/2024 - भारतीय स्टेट बैंक बनाम हाकम चंद जोसन एवं अन्य
14	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 16786/2024 - पंजाब नेशनल बैंक बनाम नरेश मल्होत्रा एवं अन्य
15	एसएलपी (सी) संख्या 28184/2023 - पंजाब नेशनल बैंक बनाम विजय सोनी एवं अन्य
16	एसएलपी (सी) संख्या 28231/2023 - पंजाब नेशनल बैंक बनाम राजीव सोनी एवं अन्य

17	एसएलपी (सी) संख्या 29121/2024 - भारतीय स्टेट बैंक बनाम गौतम गुप्ता एवं अन्य
18	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18396/2024 - पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम विमल कुमार एवं अन्य

उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश तब तक जारी रहेंगे जब तक भेजी जा रही याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता।

13.4 श्रेणी 3बी: अंतरिम आदेश पारित न होने पर, संबंधित प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध इस निर्णय के पारित होने की तिथि से 2 सप्ताह की अवधि तक कोई भी बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा।

क्रम सं.	**मामले का शीर्षक**
1	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7735/2024 - सीबीआई बनाम सुरेंद्र पटवा एवं अन्य
2	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9094/2024 - सीबीआई बनाम रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य
3	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 14011/2024 - सीबीआई बनाम मदनलाल गोयल एवं अन्य
4	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 13050 -13051/2024 - सीबीआई बनाम नरेंद्र चुघ एवं अन्य
5	एसएलपी डायरी संख्या 43977/2024 - सीबीआई बनाम भगवान दास गर्ग

	और अन्य
6	एसएलपी डायरी संख्या 49283/2024 - सीबीआई बनाम राजा सिंह कपूर और अन्य
7	एसएलपी डायरी संख्या 49284/2024 - सीबीआई और अन्य बनाम अभिषेक सोइन और अन्य
8	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 631/2025 - सीबीआई बनाम कलारीथारा माइकल सेबेस्टाइन और अन्य
9	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 881/2025 - सीबीआई बनाम रमन कुमार अग्रवाल और अन्य
10	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18395/2024 - सीबीआई और अन्य बनाम सुखिंदर सिंह और अन्य
11	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18414/2024 - सीबीआई बनाम विजय कुमार एवं अन्य
12	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 945-946/2025 - सीबीआई बनाम रुचि ग्लोबल लिमिटेड एवं अन्य
13	एसएलपी डायरी संख्या 60578/2024 - सीबीआई बनाम नरेश मल्होत्रा एवं अन्य
14	एसएलपी डायरी संख्या 3564/2025- सीबीआई बनाम विमल कुमार एवं अन्य
15	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 6371-6374/2024- सीबीआई बनाम विजय सोनी और अन्य।
16	एसएलपी (सी) संख्या 28055-28056/2024 - भारतीय स्टेट बैंक बनाम ईश्वर चंद गोयल एवं अन्य

17	एसएलपी (सी) संख्या 28057-28058/2024 - भारतीय स्टेट बैंक बनाम अभिषेक सोनी एवं अन्य
18	एसएलपी (सी) संख्या 29119/2024 - भारतीय स्टेट बैंक बनाम रमन कुमार अग्रवाल एवं अन्य
19	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 632-633/2025 - सीबीआई बनाम करनाल कृषि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य
20	एसएलपी डायरी संख्या 968/2025 - पंजाब नेशनल बैंक बनाम मेसर्स करनाल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

हम निर्देश देते हैं कि इस निर्णय के पारित होने की तिथि से दो सप्ताह की अवधि तक प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13.5 श्रेणी 4A: जाँच जारी है, और जारी रहेगी, लेकिन संबंधित प्रत्यर्थीगण/आरोपियों के विरुद्ध कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा।

क्रम सं.	**मामले का शीर्षक**
1	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9094/2024 - सीबीआई बनाम रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य.
2	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7748/2024 - सीबीआई बनाम ई. सुधीर रेड्डी एवं अन्य
3	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 14011/2024 - सीबीआई बनाम मदनलाल गोयल एवं अन्य

4	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 13050 -13051/2024 - सीबीआई बनाम नरिंदर चुघ एवं अन्य
5	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 15574-15575/2024 - सीबीआई एवं अन्य बनाम मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड एवं अन्य
6	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 15572-15573/2024 - सीबीआई बनाम प्रणव गुप्ता और अन्य
7	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 420/2025-सीबीआई बनाम गौतम गुप्ता और अन्य
8	एसएलपी डायरी संख्या 44000/2024- सीबीआई बनाम अशोक कुमार मिगलानी और अन्य
9	एसएलपी डायरी संख्या 43977/2024- सीबीआई बनाम भगवान दास गर्ग और अन्य
10	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18393/2024 - सीबीआई बनाम नवनीत गुप्ता एवं अन्य
11	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18394/2024 - सीबीआई बनाम हाकम चंद जोसन और अन्य
12	एसएलपी डायरी संख्या 49283/2024 - सीबीआई बनाम राजा सिंह कपूर और अन्य
13	एसएलपी डायरी संख्या 49284/2024 - सीबीआई एवं अन्य बनाम अभिषेक सोइन एवं अन्य
14	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 631/2025 - सीबीआई बनाम कलारीथारा माइकल सेबेस्टाइन एवं अन्य

15	एसएलपी डायरी संख्या 60578/2024 - सीबीआई बनाम नरेश मल्होत्रा एवं अन्य
16	एसएलपी डायरी संख्या 3564/2025 - सीबीआई बनाम विमल कुमार एवं अन्य
17	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 6371-6374/2024 - सीबीआई बनाम विजय सोनी एवं अन्य (आरसी0092022ए0008)
18	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 632-633/2025 - सीबीआई बनाम करनाल कृषि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

चूँकि संबंधित प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तों के विरुद्ध जाँच वर्तमान में चल रही है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि जाँच जारी रहेगी, लेकिन इस बीच संबंधित प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा।

13.6 श्रेणी 4बी: जाँच पूरी हो गई है, और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उनके विरुद्ध कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी

क्रम सं.	मामले का शीर्षक
1	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7735/2024 - सीबीआई बनाम सुरेंद्र पटवा एवं अन्य
2	एसएलपी डायरी संख्या 43552/2024 - सीबीआई बनाम सुयोग जैन
3	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 634/2025 - सीबीआई बनाम गौतम गुप्ता एवं अन्य
4	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 881/2025 - सीबीआई बनाम रमन कुमार अग्रवाल और अन्य
5	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18395/2024 - सीबीआई एवं अन्य बनाम सुखिंदर सिंह एवं अन्य
6	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18414/2024 - सीबीआई बनाम विजय कुमार एवं अन्य
7	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 945-946/2025 - सीबीआई बनाम रुचि ग्लोबल

	लिमिटेड एवं अन्य
8	एसएलपी (सीआरएल) संख्या 6371 - 6374/2024 - सीबीआई बनाम विजय सोनी एवं अन्य (आरसी0092020ए0004, आरसी0092020ए0005 एवं आरसी0092020ए0007)

चूँकि संबंधित प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तों के संबंध में जाँच पूरी हो चुकी है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि संबंधित प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तों के विरुद्ध कोई बलपूर्वक कदम उठाने या उन्हें गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

13.7 श्रेणी 5: उच्च न्यायालय के समक्ष सीबीआई को पक्षकार-प्रत्यर्थी के रूप में नहीं जोड़ा गया -

क्रम सं.	**मामले का शीर्षक**
1	एसएलपी (आपराधिक) संख्या 634/2025 - सीबीआई बनाम गौतम गुप्ता एवं अन्य
2	एसएलपी डायरी संख्या 60578/2024 - सीबीआई बनाम नरेश मल्होत्रा एवं अन्य
3	एसएलपी डायरी संख्या 3564/2025 - सीबीआई बनाम विमल कुमार एवं अन्य

उपर्युक्त मामलों में और वर्तमान अपीलों में विचाराधीन किसी अन्य मामले में, जहाँ अपीलकर्ता-सीबीआई को आवश्यक पक्ष होने के बावजूद उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार-प्रत्यर्थी के रूप में शामिल नहीं किया गया है, हम निर्देश देते हैं कि उन्हें इस न्यायालय द्वारा *स्वतः संज्ञान* आदेश पारित करके उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाया जाए, क्योंकि इन मामलों को नए सिरे से विचार के लिए भेजा जा रहा है। हम

यह भी स्पष्ट करते हैं कि उपर्युक्त मामलों में विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14. तदनुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाएगा।

मामले का परिणाम: अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

दिव्या पांडे द्वारा हेडनोट्स तैयार:

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए मान्य होगा।

अनुवादक- आकाश कुमार वर्मा (कनिष्ठ न्यायिक अनुवादक)